

प्रेषक,

एचओपी० सिंह

विशेष सचिव

उम्प्र० रासन।

रोदा नौ.

१ निदेशक,

प्र०.ये. नगरीय निकाय अधिकारण,

परामो. लगड़ान का।

नगरीय निकाय एवं गरीबी

१. मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मणिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त निषयक आपके पत्र संख्या-1226/187/10/छ./विविध/आसरा/तकनीकी (बरेली-फरीदपुर-84) दिनांक 25 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मणिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-बरेली की निकाय-फरीदपुर की 45 रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना हेतु ₹ 230.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि ₹ 115.345 लाख (रुपये एक करोड़ पचास हजार पाँच सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(अनुराशि लाख रुपये में)

क्र०	जनपद/ सं० निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	प्रथम किशत (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने याची धनराशि (सेवटेज चार्ज एवं लेवर से स सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	बरेली/ फरीदपुर	84	430.62	45	230.69	115.345
	योग			45	230.69	115.345

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानविकों के आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सदाचार लोकल अधिकारी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियाँ एवं पर्यावरणीय वित्तयोनि प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतियोगियों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मट में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानवीकृत क्षेत्रफल, गान्धिज एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मट में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मट में किया जाये। रामरायी/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्फेलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
6. सड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरात्रि/पुनरावृति न हो इसे सड़ा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशेषियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदित प्राप्त किये विना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस विधि में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुल: मनुमोदित प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन सीदे आवासों के भू-स्थानियों के भू-स्थानित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मालाकारण के अनुसार ही आवास बनाये जाये व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित रहते वह अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों व अनुपालन सहाय स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित व्यापारिक योजना निर्देशों के अनुपालन पर आशयस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो आगे स्तर पर भी उपत्तानुसार सभी पहलुओं पर आशयस्त हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निटेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नगति कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरावृत्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की रूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र०, इलाहाबाद को आदेश दी प्रति के साथ कोषगार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. रवीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बँक/टाक्पर/डिपोजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। रवीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्ण यथातियम केन्द्र व राज्य के कर्त्ता की स्वीत की कठौती राज्यवन्धी अविसार्य विशिष्ट प्रतिवेदी के अनुपालन का द्यान रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनावर्गत प्रथम किश्त के रूप में रवीकृत उबत धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जाएगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि अवगुप्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/रायित, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षावत पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यातायायस्था धनराशि अवगुप्त करने से पूर्ण अनुबन्ध (एम0ओ0य0) निष्पादित किये जाने हेतु सूता द्वारा सम्बन्धित दृढ़ा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक “4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन) 24 वृहद निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
23
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या 7/८८/2015/1671(1)/69-1-15, जदिनांक।

प्रतिलिपि निर्माणेन्द्रित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, राज्य नियंत्रण विभाग, 30प्र0, छठवां तल, रांगग प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रामीण 5-मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभियान, बरेली।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुग्राम-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुद्र्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. राज्यवन्धी वेत ग्रामटर, रुड़ा को निर्माणीय वेत साइड पर अपलोड कराने हेतु।
10. गांडी फाइल/कर्मचारी सहायता/दफ्तर समाचारक।

माजा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।